न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः- 251 क(1) आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः 60/2026

सुखदेव सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह जाति जटसिख निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

-:प्रार्थी

बनाम्

1 ओमप्रकाश पुत्र अर्जनराम जाति बाजीगर निवासी 2 एनएम, ठकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2 राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

-:अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री धन्नाराम सुथार - अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार - अप्रार्थी सं. 2

-::निर्णय::-

दिनांक 27.02.2026

अधिवक्ता प्रार्थी श्री धन्नाराम सुथार द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कियह कि मिन प्रार्थी के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जे.आर.के. के खाता सं. 48/169 के प.नं. 49/245(1) के किला नं. 5,6,15,16 की 1.012 हैक. व प.नं. 50/245(2) किला नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 17,18 की 3.289 हैक. इस प्रकार कुल 4.301 हैक. नहरी मे प्रार्थी का संयुक्त खाता मे 548/4301 हिस्सा नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम की कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के 16 जे.आर.के. के खाता सं. 243 के प.नं. 49/246 (10) के किला नं. 4/2/0.129, 5/3/0.211 की 0.340 हैक. व प.नं. 50/245 (2) किला नं. 19 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की 1.771 है. व प.नं. 50/246 (9) किला नं. 2/2/0.211, 3,4, 5/3/0.123 की 0.840 हैक. व प.नं. 50/247 (12) किला नं. 3/7/0.005, 4/3/0.025, 5/2/0.050 की 0.080 हैक. व प.नं. 51/246 (8) किला नं. 21/2/0.018, 22/1/0.018, 23/3/0.018 की 0.054 हैक. व प.नं. 51/247(13) किला नं. 1/2/0.025, 2/2/0.025, 3/2/0.025 की 0.075 है. इसप्रकार कुल रकबा 3.160 है. नहरी मय गै.मु.खाला रास्ताा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 सलंग्न प्रर्थना पत्र हैं।

यह कि प्रार्थी की भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जे.आर.के. के खाता सं. 48/169 के प.नं. 49/245(1) के किला नं. 5,6,15,16 की 1.012 हैक. व प.नं. 50/245(2) किला नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 17,18 की 3.289 है. इस प्रकार कुल 4.301 है. नहरी मे प्रार्थी का संयुक्त खाता मे 548/4301 हिस्सा मे प्रार्थी की मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार प.नं. 50/245 (2) किला नं. 17 (जिसका विवरण प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

की मंद सं. 2 में किया है) मे आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 16 जेआरके के प.नं. 50/245 (2) किला नं. 24 मे उत्तर-पूर्वी कोना, 15 फुट लम्बाई व 10 फुट चौडाई यानि 0.0014 है. एवम् किला नं. 25 मे उत्तर दिशा की तरफ से गै.मु.रास्ता से लेकर 10 फुट चौड़ाई व पूर्व-पश्चिम 149 फुट लम्बाई यानि 0.0138 हैक. दोनो किलो मे कुल 0.0152 हैक. रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले मे कृषि भूमि प्राप्त करे या मुताबिक डी.एल.सी के राशि प्राप्त करे तो प्रार्थी को कोई उज़र वा ऐतराज नहीं है ।

चूंकि प्रार्थी की उक्त भूमि मे आने जाने के लिए पूर्व मे कोई रास्ता स्वीकृत नही है। यही रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि मे आने जाने के लिए सुविधा जनक हैं तथा इसी रास्ता से होकर प्रार्थी काफी अरसा से अपनी भूमि मे आता जाता रहा है। तथा उपयोग व उपभोग करते आ रहा है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि भूमि मे चक 16 जेआरके के प. नं. 50/245(2) किला नं. 24 मे उत्तर-पूर्वी कोना, 15 फुट लम्बाई व 10 फुट चौडाई यानि 0.0014 है. एवम् किला नं. 25 मे उत्तर दिशा की तरफ से गै.मु.रास्ता से लेकर 10 फुट चौड़ाई व पूर्व-पश्चिम 149 फुट लम्बाई यानि 0.0138 है. दोनो किलो मे कुल 0.0152 है. भूमि में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत हो जाने पर प्रार्थी भी अपनी भूमि में ट्रैक्टर ट्राली व अन्य औजार ले जाकर सुविधा पूर्वक काश्त कर सकेगी। तथा अपनी कृषि भूमि तक आसानी से आवागमन हो सकेगा।

यह कि प्रार्थीगण चक 16 जेआरके के प.नं. 50/245(2) किला नं. 24 मे उत्तर-पूर्वी कोना, 15 फुट लम्बाई व 10 फुट चौडाई यानि 0.0014 है. एवम् किला नं. 25 मे उत्तर दिशा की तरफ से गै.मु.रास्ता से लेकर 10 फुट चौड़ाई व पूर्व-पश्चिम 149 फुट लम्बाई यानि 0.0138 है. दोनो किलो मे कुल 0.0152 है. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता रास्ता स्वीकृत करवाने की कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता के लिये अप्रार्थी सं. 1 को भूमि के बदले भूमि या डी.एल.सी की दौगुनी राशि अदा करने के लिये पूर्णत्या सहमत है।

यह कि प्रार्थी ने उक्त भूमि मे से रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 को कहा तो अप्रार्थी सं. 1 पहले तो आज कल-आज कल का बहाना बनाते रहा व 15 दिवस पूर्व रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने से साफ तौर से ईन्कार कर दिया बस यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमे अप्रार्थी संख्या 2 भु धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

यह भूमि तहसील हनुमानगढ़ मे स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है व प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है। कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 16 जेआरके के प.नं. 50/245(2) किला नं. 24 मे उत्तर-पूर्वी कोना, 15 फुट लम्बाई व 10 फुट चौडाई यानि 0.0014 है. एवम् किला नं. 25 मे उत्तर दिशा की तरफ से गै.मु. रास्ता से लेकर 10 फुट चौड़ाई व पूर्व-पश्चिम 149 फुट लम्बाई यानि 0.0138 है. दोनो किलो मे कुल 0.0152 है. रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह उपस्थित। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में राजीनामा पेश किया।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट नही तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।
2 वैकल्पिक रास्ते का अभाव।
3 नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा उक्त प्रस्तावित रास्ता के बदले अप्रार्थीगण राजीनामा अनुसार सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता से सुगमता से प्रार्थी अपनी जोत तक पहूंच सकता है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा के प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता से ही अपनी खातेदारी जोत तक प्रार्थी पहूंच सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में राजीनामा व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:<u>क्रिन्याविति आदेश</u>:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 16 जेआरके के प.नं. 50/245 (2) किला नं. 24 मे उत्तर-पूर्वी कोना, 15 फुट लम्बाई व 10 फुट चौडाई यानि 0.0014 है. एवम् किला नं. 25 मे उत्तर दिशा की तरफ से गै.मु.रास्ता से लेकर 10 फुट चौड़ाई व पूर्व-पश्चिम 149 फुट लम्बाई यानि 0.0138 है. दोनो किलो मे कुल 0.0152 है. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

जावे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुदा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ